

अज अवालत :- उपखण्डाधिकारी राजाखेडा

अज इजलास :- देवी सिंह (आर.ए.एस.)

मूल वाव सं- - 100/21

1. रामविलास पुत्र वसन्तलाल जाति कोली निवासी गढी करीलपुर तहसील राजाखेडा

.....वादी

बनाम

1. पतरे उर्फ अचलसिंह पुत्रगण फूसिया
2. पप्पू
3. नथो उर्फ शिवदेई पुत्र फूसिया
4. प्रमोद पुत्रगण महेन्द्र
5. कालू
6. श्रीमति पुत्री महेन्द्र
7. महेश पुत्रगण सुम्मेरा
8. विनोद कुमार
9. सागर
10. चतुरो बेबा सुम्मेरा
11. ऊषा देवी पुत्रीयान सुम्मेरा
12. गीता देवी
13. संगीता पत्नी कमलसिंह
14. नितिन पुत्रगण कमलसिंह
15. प्रशान्त
16. बबीता पुत्री कमलसिंह
17. तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत लैण्ड होल्डर

जातिगण जाटव निवासीगण पुरा सोमली तहसील राजाखेडा  
जिला धौलपुर

जातिगण जाटव निवासीगण 41/39 नगला प्यारेलाल धधुपुर  
रोड ताजगंज आगरा उ0प्र0

प्रतिवादीन

दावा:- स्वत्व घोषणा दुसरी इन्द्राज म्य स्वामी निषेधाज्ञा।

मूल वाव सं. 100/21

दिनांक :- 05.10.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्टई करत मुझ देवी सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्डाधिकारी राजाखेडा व हाजिरी श्री अश्वनी कुमार जैन अधिवक्ता वदी एवं श्री किशोर कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 2,7,8 पेश होकर हुक्म दिया जाकर दावा वदी अंतिम डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी ख0नं0 802 रकवा 17 विस्वा स्थित ग्राम सोमली तहसील राजाखेडा का वदी को खतेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार राजाखेडा को आदेशित किया जाता है कि वह आराजी के सम्बन्ध में मौजूदा इन्द्राजात कमलजद किये जाकर वदी रामविलास पुत्र वसन्तलाल जाति कोली निवासी गढी करीलपुर तहसील राजाखेडा के नाम को खतेदार इन्द्राजात सत्यत विकर्ष में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी किया गया।

व शब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अवालत के आज दिनांक 11.10.2023 को अंतिम डिक्री जारी की गई ।



(देवी सिंह )

आर.ए.एस.

उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा